भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 448

24 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

भारत आटा पर राजसहायता

448. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर गेहूं की कीमतों को स्थिर रखने के लिए भारत आटा पर नई राजसहायता अनुमोदित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ), केन्द्रीय भंडारों आदि के सीमित भंडारों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से भारत आटा बेचने पर विचार करेगी/करने का विचार रखती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भारत चावल बेचने पर विचार करेगी जो गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के परिवारों के लिए मददगार होगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): जी हाँ। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को दिनांक 01.04.2024 से 2300/- रुपए प्रति क्विंटल के मौजूदा आरक्षित मूल्य पर, मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) से 585/- रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी की अनुमति के बाद भारत आटा के लिए नेफेड/एनसीसीएफ/केन्द्रीय भंडार को गेहूं का प्रभावी निर्गम मूल्य 1715/- रुपए प्रति क्विंटल रखने का निर्देश दिया है।

(ग) से (च): नेफेड/एनसीसीएफ/केंद्रीय भंडार द्वारा अपने स्थायी रिटेल आउट्लेट्स और मोबाइल वैन एवं रिटेल श्रृंखला तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी भारत आटा और भारत चावल की बिक्री की जा रही है।

******